

[2017] 10 एस सी आर 1000

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी (आर. ई. टी. डी.),

AND ANDR

वी.

भारत और ओआरएस का संघ

(2012 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 494)

15 दिसंबर, 2017

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. के. सिकरी, ए. एम. खानविलकर,

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण, जेजे।]

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा) अधिनियम, 2016-आधार को जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई गई-अपने मंत्रालयों/विभागों की सभी योजनाओं के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ाई गई-जहां तक मौजूदा बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ने का संबंध है।

इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी गई है-नए बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ने के संबंध में, आधार कार्ड के लिए आवेदन दाखिल करने और विवरण प्रस्तुत करने के अधीन।

मार्च 2018-उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप, आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि का विस्तार 31 मार्च 2018 तक लागू होगा, इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं को सभी राज्य सरकारों के लिए समान रूप से लागू किया जाएगा। संविधान पीठ के समक्ष कार्यवाही के निपटारे तक व्यवस्था का संचालन जारी रहेगा।

लोकनीति फाउंडेशन बनाम। भारत संघ और एक अन्य

(2017) 7 एस. सी. सी. 155-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2017) 7 एससीसी 155

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लिखित याचिका (सिविल) सं।

494 2012 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

1000 जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी (आर. ई. टी. डी.) v. भारत का संघ

के साथ

टी. सी. (ग) संख्या। 151 , 152 , 1797 , 1796 2013 का डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 833 , 829 , 932 2013 की अवमानना याचिका (सी) 2014 की सं. 144, टी. पी. (ग) संख्या।

313 , 312 2014 का एसएलपी (सी. आर. एल.)। नहीं। 2524 2014 का डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 37 , 220 2015 की अवमानना याचिका (सी) 2015 की सं. 674, टी. पी. (ग) 2015 का सं. 921, अवमानना याचिका (ग) 2015 का सं. 470, अवमानना याचिका (ग) 2016 का सं. 444,608, डब्ल्यू. पी. (ग) 2016 की सं. 797,2017 की अवमानना याचिका (ग) सं. 844, डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 342,372,1058,966,1014,1002 और 1056

2017 .

के. के. वेणुगोपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल, जुगल किशोर गिल्डा, अधिवक्ता। जनरल, अनिल ग्रोवर, शिव मंगल शर्मा, एएजी, श्याम दीवान,

गोपाल सुब्रमण्यम, के. वी. विश्वनाथन, संजय आर. हेगडे, सुश्री. मीनाक्षी अरोड़ा, अरविंद दातार, आनंद ग्रोवर, साजन पूवय्या, जयंत

एस. प्रसन्ना, सुश्री समीक्षा गोदियाल, सुश्री समीक्षा गोदियाल, पृथ्वी गर्ग, अभय प्रताप सिंह, गोविंद मनोहरन, प्रताप वेणुगोपाल, प्रसन्ना

एस., सुश्री समीक्षा गोदियाल (मेसर्स के लिए)। के. जे. जॉन एंड कंपनी), मयंक अग्रवाल, प्रदीप के. अग्रवाल, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, जयदीप सिंह, जी. पी. कैप्टन। के. एस. भाटी, टी. गोपाल, अमित वर्मा, सुश्री तनुजा पात्रा, दिनेश कुमार, सुश्री रितु अपूर्वा, प्रशांत भूषण, ओमाना कुट्टन के. के.,

गोविंद जी, अभिषेक अत्रे, शादन फरासत, सुश्री वृंदा भंडारी,

प्रसन्ना, सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता, अनीश कुमार गुप्ता, अवधेश कुमार सिंह, आर. के. राजवंशी, चंद्र शेखर सुमन, सुश्री दीप शिखा भारती, सुश्री रीता गुप्ता, प्रांजल किशोर, सुश्री अर्चना पाठक दवे, तल्हा अब्दुल

रहमान, अंकुर कश्यप, प्रतीक चड्ढा, जयवर्धन सिंह, पवन भूषण, पी. आर. कोविलन पूनकुंजन, सुश्री अवस्थी एम. के., वी. वासुदेवन, श्रीमती गीता कोविलन, राहुल नारायण, अपार गुप्ता, शाश्वत गोयल, गौतम भाटिया, सुश्री अन्नया घोष, सुश्री भावना, आनंद सेठी, प्रणय

कुमार महापात्रा, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, प्रसन्ना एस., दीपायन मंडल, आनंदो मुखर्जी, सुश्री स्तुति वत्स, टी. वी. एस. राघवेंद्र श्रेयस, श्रीमती गायत्री गुलाटी श्रेयस, एन. साई विनोद, अमित मेहरिया, सुश्री तनिष्ठा सिंह, सुश्री ऋषिता (मेसर्स के लिए)। मेहरिया एंड कंपनी), जोहेब हुसैन, अंकुर तलवार, सुश्री श्रद्धा देशमुख, श्रीमती अनिल कटियार, ए. गुलाटी, के. डांगवाल, पीयूष गोयल, सुश्री पालेश माहेश्वरी, फहद खान, रजत नायर, मैसर्स। वकील एस निट एंड कंपनी, सुश्री तनिष्ठा सिंह, सुश्री ऋषिता (मेसर्स के लिए)। मेहरिया एंड कंपनी), प्रियदर्शी बनर्जी, प्रति भानु

एस. कारोला, सारांश कुमार, सारांश जैन, माधवम शर्मा, [2017] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रामकृष्ण मेका, प्रतीक राजोपाध्याय, ई. सी. अग्रवाल, मिलिंद कुमार, एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान, दिनकर कालरा, सुश्री विमला सिन्हा, गोपाल सिंह, ऋतुराज बिस्वास, सुश्री रश्मि सिंघानिया, केतन पॉल, सुश्री रीजा वर्गीज, चिरायु जैन, तुषार

भूषण, श्री कुलदिप एस. परिहार, एच. एस. परिहार, भागीरथ पटेल, मोहित

डी. राम, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री बीना माधवन, सुश्री एलिजाबेथ एंटनी, गुंटूर प्रभाकर, तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह,

गोपाल शंकरनारायणन, सुश्री सविता सिंह, श्रुतंजय भारद्वाज, शानू

अग्रवाल, सुश्री वीरा महली, जयंत मोहन, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, सुश्री मानसी कपूर, सुश्री शुभा कपूर, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी। सुश्री रोहिणी मिश्रा, रंजन मुखर्जी, के. एन. मधुसूदनन, सुश्री नित्या मधुसूदनन, टी. जी. नारायणन नायर, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन, एस. मनुराज, जगजीत सिंह छाबड़ा, जतिंदर कुमार भाटिया, आशुतोष

कुमार शर्मा, अभिनव मुखर्जी, मिश्रा सौरभ, मनीष वशिष्ठ,

सतीश कुमार, सुश्री नूपुर सिंघल, संजय कुमार विसेन, के. वी. विजयकुमार, सुश्री मैत्रेयी मिश्रा, करण भरीहोके, सुश्री रुचि कोहली, शमित मुखर्जी, मनोज के. मिश्रा, सुश्री अरुणा माथुर, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, सुश्री सिमरान जीत (मेसर्स के लिए)। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी)। वरिंदर कुमार शर्मा, चंदर नंद झा, फुजैल

अहमद अयूबी, सुश्री आशिमा मंडला, इबादत मुश्ताक, सुश्री पल्लवी

मल्होत्रा, सुश्री मंदाकिनी सिंह, सुश्री प्रियंका अग्रवाल, सिद्धांत

शर्मा, जी. भार्गव, ए. गराज खान, नवीनदीप सिंह मट्टा, कुबेर बुद्ध, एम/एस। कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप, अनिरुद्ध पी. मयी, चिराग जैन,

गर्वेश काबरा, हरीश पांडे, आर. सुधींदर, अशोक माथुर, सुश्री अमृता सरकार, ललित महापात्रा, सुश्री प्राची प्रियदर्शिनी, अनीप सचथे,

सुश्री जेसल वाही, सुश्री संस्कृति, सुश्री शोधिका शर्मा, सुश्री हेमंतिका

वाही, सुश्री अनीता शेनॉय, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, सौमित्र जी. चौधरी, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री अयियाला इमती, निशे राजन शोंकर,

सुश्री अनु के. जॉय, रीगन। एस. बेल, सुभाष, निपुण सक्सेना, नमित सक्सेना, सुश्री पल्लवी प्रताप, देवांशु सजलान, जोगी स्कारिया, विल्स मैथ्यूज, राबिन

मजूमदार, श्रीमती वनिता भार्गव, अजय भार्गव, सुश्री अभिसार बैरागी (मेसर्स के लिए)। खेतान एंड कंपनी), हर्ष कौशिक, के. आर. शशिप्रभु, कोशी

जॉन, सुश्री अनुषा नटराजन, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, भूपेश नरूला, के. वी. जगदीश्वरन, श्रीमती जी. इंदिरा, डॉ. ललित भसीन, सुश्री नीना गुप्ता, सुश्री पलक चड्ढा, मुदित शर्मा, लीशांगथेम रोशनी खा , सुश्री मैबम बबीना, चंचलकुमार गंगुली, अधिवक्ता। प्रकट होने के लिए पार्टियाँ।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी (आर. ई. टी. डी.) v. भारत का संघ

हस्तक्षेपकर्ता-व्यक्तिगत रूप से।

आवेदक व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का आदेश दिया गया था

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे. 1. हमने प्रस्तुतियाँ सुनी हैं। अंतरिम राहत पर। इस स्तर पर अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना अनिवार्य रूप से इस न्यायालय के 23 सितंबर 2013 के पहले के आदेशों पर आधारित है।

मार्च 2014, 16 मार्च 2015, 11 अगस्त 2015 और 15 अक्टूबर 2015।

15 अक्टूबर 2015 को अंतरिम निर्देश जारी किए गए थे।

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद अपलिंक या विशिष्ट पहचान का विवरण प्रदान करना अनिवार्य है

सभी उद्देश्यों के लिए संख्या/आधार कार्ड।

3. श्री गोपाल सुब्रमण्यम, विद्वान वरिष्ठ वकील ने उसी निवेदन को आगे बढ़ाते हुए आग्रह किया कि इस मुद्दे में सर्वोच्चता शामिल है न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया। विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में, 15 अक्टूबर 2015 (और पहले के आदेशों) के अंतरिम आदेश के रूप में न्यायिक शक्ति का प्रयोग नागरिकों को किसी भी प्रकार की मजबूरी से बचाने के लिए था, यह सुरक्षा के लिए सहायक था।

उनके मौलिक अधिकार।

4. श्री अरविंद दातार, श्री के. टी. एस. तुलसी, श्री आनंद ग्रोवर, श्री के. वी. विश्वनाथन, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और श्री संजय हेगड़े आदि। विद्वान वकील ने समर्थन में विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतियों का आग्रह किया

अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना।

5. दूसरी ओर, भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल आग्रह करते हैं कि अंतरिम निर्देश [2017] 10 एस. सी. आर. में जारी किए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधायी ढांचे का अभाव। संसद द्वारा अधिनियमित होने के बाद

आधार अधिनियम, 2016 (जो 12 जुलाई 2016 को लागू हुआ) अंतरिम आदेश, उनके प्रस्तुत करने में, विधिवत अधिनियमित कानून के प्रावधानों को लागू करने में कोई बाधा पैदा नहीं करेंगे। इसके अलावा, की तर्कसंगतता

प्रत्येक अधिसूचना को विभाग द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए।

चिंतित हैं। विद्वान महान्यायवादी का समर्थन किया गया है

श्री आर्यमा सुंदरम, यू. आई. डी. ए. आई. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ।

6. जिन मुद्दों के महत्व को ध्यान में रखते हुए

24 अगस्त 2017 को इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों के फैसले के कारण इस मामले में उठाया गया, हमारा विचार है कि न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों का समाधान आगे बढ़ना चाहिए

जल्द से जल्द, जनवरी 2018 में अदालत के फिर से इकट्ठा होने के बाद। यह एक ओर नागरिकों के लिए और दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारों और उपकरणों के लिए स्पष्टता सुनिश्चित करेगा।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल और उनकी दलीलों का समर्थन करने वाले अन्य सभी वकील अदालत के सुझाव पर सहमत हो गए हैं कि मामले की अंतिम सुनवाई 17 जनवरी 2018 को शुरू होगी। हम उसी के अनुसार निर्देश देते हैं।

8. इस बीच जिस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, वह अंतरिम व्यवस्था है जिसे क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहिए।

9. भारत के विद्वान महान्यायवादी ने कहा है कि:

(i) केंद्र सरकार ने अपने मंत्रालयों/विभागों की सभी योजनाओं के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है।

2018 ;

(ii) जहां तक बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ने का सवाल है, मौजूदा बैंक खातों के लिए, प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि

(iii) जहां तक नए बैंक खातों का संबंध है, जबकि आधार को जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। 31 मार्च 2018 तक, नए खाते खोलने के इच्छुक व्यक्ति अपना विवरण प्रस्तुत करेंगे।

आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रमाण आवेदन संख्या के साथ बैंक में जमा किया गया है जो खाता खोलने वाले बैंक को प्रदान किया जाएगा; और

1 (2017) 10 एस. सी. सी. 1 जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी (आर. ई. टी. डी.) v. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.]

(iv) मोबाइल फोन के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी के संबंध में

अभिदाता, जैसा कि इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है

लोकनीति फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य 2 में 6 फरवरी 2017 को इसका आदेश, ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया है

6 फरवरी 2018 तक पूरा किया जाना है। केंद्र सरकार न्यायालय को सूचित करती है कि अन्य मामलों में समय सीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने के अनुरूप, यह न्यायालय उचित आदेश पारित करने पर विचार कर सकता है।

10. उपरोक्त (i) और (ii) के संदर्भ में, हम इस कथन को स्वीकार करते हैं -

भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी और तदनुसार आदेश।

11. उपरोक्त (iii) के संदर्भ में, विवरण प्रस्तुत करने के अधीन

आधार कार्ड के लिए आवेदन दाखिल करने के संबंध में और

खाता खोलने वाले बैंक को आवेदन संख्या प्रस्तुत करते हुए, हम इसी तरह नए बैंक खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 तक बढ़ा देते हैं।

12. उपरोक्त (iv) के संदर्भ में हम पूरा करने की तारीख बढ़ाते हैं।

31 तक मोबाइल फोन ग्राहकों के संबंध में ई-केवाईसी प्रक्रिया

मार्च 2018।

13. उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप, हम यह भी निर्देश देते हैं कि

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के अलावा आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने का प्रावधान सभी राज्य सरकारों पर समान रूप से लागू होगा। 3. 1 मार्च 2018 तक समय सीमा बढ़ाने के परिणामस्वरूप, तदनुसार आदेश दिया जाता है।

14. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जहाँ तक धारा 139 के प्रावधान हैं

आयकर अधिनियम, 1961 के ए. ए. का संबंध है, यह मामला बिनाय विसमन बनाम यूनियन ऑफ इनकम टैक्स मामले में इस न्यायालय के फैसले से नियंत्रित होता है।

भारत 3.

15. उपरोक्त व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि

संविधान पीठ के समक्ष कार्यवाही का निपटान।

16. रजिस्ट्री संबंधित मामलों के पूरे समूह को सूचीबद्ध करेगी
अंतिम सुनवाई 17 जनवरी 2018 को होगी।

(

देविका गुजराल

नि

देश जारी किए गए।

1

2 2 (2017) 7 एससीसी 155

3 2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 247।